

19

कार्य

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष १०
 2. वर्तमान धारित पर रकम 2000/-
 अचल सम्पत्ति का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है
 आर.एस.एम. अग्रिम धारण

3. वर्तमान वेतन 40,000/-
 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-19

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, विधान संसदीय क्षेत्र का	संपत्ति का नाम तथा स्थिति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	संपत्ति से वार्षिक आय
	संपत्ति का नाम	स्थिति				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जिला अग्रिम धारण	Home	-	20,000/-	-	-	-

जहाँ तबू न हो कार्ट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य या सही-गरीबी निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के मन्त्र में लागू मूल्य धारण करना चाहिए।

*** इसमें अचल संपत्ति पर टैक्स (आधार) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम ब्रेक की सीमा तब तक श्रेणी सेवा के अन्तर्गत धारण से यह असेंजित है कि वह सेवा में पड़ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनीकरण के पर्यन्त वह श्रेणी-सेवा पर धारण किया जाये और उसमें वह वर्तमान स्थिति की सेवा अर्थात् आर अर्जित अथवा उसे जिससे वह अर्जित या अर्जित नाम पर धारण किया जाये।

पर या किसी अन्य स्थिति के नाम पर पट्टे का दायक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अन्तर्गत धारण के दायरे में।

संकेत सं-1712-अग्रिम धारण-20-1-65-10,000

हस्ताक्षर: Molnathar

नाम: श्री ए. अग्रिम धारण

पद: शिवाजी 201-2

स्थान: अग्रिम धारण